न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या ::— 07/2017

केशीबाई पत्नी माधूलाल जी जाति रेगर निवासी बलवन्तनगर तह0 बेगूँ
प्रार्थीया

बनाम

1. शंकरलाल पिता बालू जी गुर्जर निवासी माण्डना तह0 बेगूँ
2. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ
3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, प्रतिनिधि राजस्थान सरकार, चितौडगढ़
विपक्षीगण

उपस्थित ::— श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मुरलीधर शर्मा
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक ::— 28.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा माण्डना पटवार मण्डल सुवाणिया तह0 बेगूँ की वर्तमान जमाबंदी संवत 2068 से 71 की खाता खतौनी संख्या 115 में अंकित आराजी संख्या 759/66 रकबा 0.8090 हैक्टर कुल किता—1 रकबा 0.809 हैक्टर कृषि आराजी प्रार्थीया के कनाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जिस पर प्रार्थीया का स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर प्रार्थीया काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग कर रही है।

यह कि प्रार्थीया का उक्त कृषि आराजी संख्या 759/66 पर पहुंचने के लिए एक कदीमी रास्ता बना हुआ है जिससे प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि आराजी पर पहूंच कृषि कार्य कर रही है परन्तु उक्त कृषि आराजी पर पहूंचने का उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1व 2,3 आये दिन प्रार्थीया को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने से मना करते है एवं रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है जिससे प्रार्थीया का उक्त कृषि आराजी पर कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है।

यह कि प्रार्थीया द्वारा संलग्न नजरी नक्शानुसार प्रार्थीया की उक्त कृषि आराजी के उत्तर दिशा में बिलानाम सरकार भूमि है जिसमें से होते हए आराजी नं0 741/66 से होते हुए प्रार्थीया मुख्य रास्ते पर पहूंच जाती है। इस प्रकार संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता रिकोर्ड में कायम किये जाने हु प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थीया की आराजी संख्या 759/66 पर पहुचने के लिए उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया विगत काफी लम्बे अर्से से उक्त नजरी नक्शे में वर्णितानुसार रास्ते से ही अपनी आराजी पर आ जा रही है, इसलिए प्रार्थीया का यह सुस्थापित मार्ग है। यह कि विपक्षीगण रास्ते में वर्णित भूमि के मालिक स्वामी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

यह कि विपक्षीगण अपनी आराजीयात पर विद्यमान रास्ते से होकर प्रार्थीया को आने जाने से रोक रहे है जिससे प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि आराजी पर कृषि उत्पन्नदन, फसल, खाद, बीज आदि को नही निकाल पा रही है एवं आने जाने में भारी कठिनाई हो रही है विपक्षीगण को प्रार्थीया की उक्त आराजी पर आने जाने से रोकने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। इसलिए कानूनन विपक्षीगण की आराजीयात पर प्रार्थीया को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है जिसके लिए प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत हैं।प्रार्थीया न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रतिकर जमा कराने के लिए तैयार हैं।

यह कि यदि प्रार्थीया को विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने से रोक दिया गया तो प्रार्थीया अपनी आराजी की देख रेख नहीं कर पायेगी एवं प्रार्थीया द्वारा बोई हुई फसल सूख जायेगी जिससे प्रार्थीया को भारी हानि होगी एवं अपनी आराजी से महरूम हो जायेगी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नक्शे नजरी में वर्णित रास्ते का अधिकार प्रदान किया जाकर उक्त नक्शे नजरी में वर्णित भूमि आराजी पर आने जाने के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाब विपक्षी संख्या 1 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में मुझ विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थीया की कृषि भूमि पर पहुंच के लिए विवादग्रस्त भूमि में से किस आराजी नम्बरान से कितना लम्बा एवं कितना चौड़ा रास्ते का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा है। तथा उक्त रास्ते की लम्बाई चौड़ाई अनुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर क्या है इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार बेगूं से तलब की गई।

तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके पत्र क्रमांक 646 दिनांक 31.074.2024 से रिपोर्ट प्रेषित कर रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है। प्रार्थी को रास्ते हेतु अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए निकटतम रास्ता खसरा संख्या 66पी. रकबा 70.292 हैक्टर आरक्षित चारागाह में से प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.04 हैक्टर है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। खातेदार जिस भूमि से नवीन रास्ता चाहता है वह भूमि आराजी संख्या 66पी. रकबा 0.809 हैक्टर किस्म आरक्षित चारागाह होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों एवं अभिमत अनुसार चारागाह भूमि में से पहुँच मार्ग दिया जाना विधि सम्मत नहीं माना है । अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं है। इस रिपोर्ट के संलग्न राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर के पत्रांक 2022 दिनांक 03.02.2023 जो कि जिला कलक्टर सीकर को लिखा गया है। पत्र में अंकित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जगपालसिंह के निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के निर्णय तथा समय समय पर ए0जी 0 तथा ए0एजी0 महोदय की राय के आधार पर जारी निर्देशानुसार 1. अपवादिक परिस्थितियाँ 2 लोकहित प्रयोजनार्थ 3. अन्य भूमि की अनुपलब्धता होने उपरोक्त तीनों ही शर्तो की पूर्ति होने के पश्चात ही चारागाह भूमि एवं प्रतिबंधित भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन एवं आवंटन व नियमन पर विचारा जा सकता है। निजी खातेदार को संपरिवर्तन के लिए आवश्यक पहुँच मार्ग हेतु चारागाह भूमि मे से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नहीं है।

इसी रिपोर्ट के संलग्न पर्चामौका ग्राम माण्डना दिनांक 6.05.2024 में भी अंकन किया है कि " रेकार्ड अनुसार ग्राम माण्डना की आराजी नं0 759/66 रकबा 0.8090 हैक्टर केशीबाई पत्नि माधूलाल रेगर निवासी बलवंतनगर के नाम दर्ज है। प्रार्थीया वर्तमान में आ.नं. 66पी. मे से ही होकर अपने आराजी संख्या 759/66 मे जाती है। इस आराजी नं. 66पी का कुल रकबा 70.292 हैक्टर किस्म आरक्षित चारागाह मे से होकर जाने के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आराजी नं. 66/1 इनके परिवाजन की है अतः आगे रास्ते हेतु कोई समस्या नहीं होना बताया।

पत्रावली में विपक्षी का जवाब एवं प्राप्त रास्ते सम्बन्धी रिपोर्ट एवं विपक्षी के बयान उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थीया की एक तरफा सुनी गई। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थीया की एक तरफा सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी अनुसार प्रार्थीया वर्णित आराजीयात की खातेदार है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नही किया है कि वे किस आराजी से रास्ता चाहती है। साथ ही विपक्षी संख्या 1 शंकरलाल पिता बालू जी गुर्जर जिन्होने प्रार्थीया के पक्ष मे अपना ईकबालिया जवाब व बयान दर्ज कराये है, प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि इन्हें प्रार्थीया द्वारा पक्षकार क्यो कर बनाया गया है। साथ ही रिपोर्ट तहसीलदार बेगूं के

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

नुसार संलग्न राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर के पत्रांक 2022 दिनांक 03.02.2023 जो कि जिला कलक्टर सीकर को लिखा गया है। पत्र में अंकित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जगपालसिंह के निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के निर्णय तथा समय समय पर ए0जी 0 तथा ए0एजी0 महोदय की राय के आधार पर जारी निर्देशानुसार 1. अपवादिक परिस्थितियों 2 लोकहित प्रयोजनार्थ 3. अन्य भूमि की अनुपलब्धता होने उपरोक्त तीनों ही शर्तो की पूर्ति होने के पश्चात ही चारागाह भूमि एवं प्रतिबंधित भूमि के वर्गीगरण परिवर्तन एवं आवंटन व नियमन पर विचारा जा सकता है। निजी खातेदार को संपरिवर्तन के लिए आवाश्यक पहुँच मार्ग हेतु चारागाह भूमि मे से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नहीं है।

रिपोर्ट के संलग्न पर्चामौका अनुसार आराजी नं. 66/1 इनके परिवाजन की है अतः आगे रास्ते हेतु कोई समस्या नहीं होना बताया। इस प्रकार चारागाह भूमि से रास्ता दिया जाना तीनों शर्तो की पूर्ति प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में नही होती हैं। साथ ही चारागाह भूमि के लिए सम्बन्धित सरपंच को भी सुना जाना आवश्यक होता हैं। उपरोक्त रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ एवं पर्चामौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आरक्षित चारागाह भूमि से रास्ता दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी मे होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ